International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Volume 01, No. 04, October - December, 2019, pp.40-42

भारत में लैगिंक असमानताः एक संक्षिप्त अध्ययन

सुशील कुमार बसवाल*

परिचय

लैंगिक असमानता का इतिहास

यदि हम लिखे और पढ़े जाने वाले प्राचीन इतिहास के वैदिक, उत्तर वैदिक काल की बात करे तो महिलाओं की स्थिति सर्वोच्च दिखायी देती है वेदो तथा उपनिषदो में उसे माता तथा देवी शब्दो से संबोधित किया गया। महिला अपने परिवार की मुखिया के रूप में स्थापित थी, यह प्रारम्भिक वैदिक काल मातृसत्तात्मक युग के रूप में एक सुखद अनुभव देता है।

लेकिन सल्तनत काल ओर मध्यकाल में आरम्भ हुई बहु–विवाह प्रथा ने औरतों की स्थिति बिगाड़ दी साथ–साथ पर्दा–प्रथा, दहेज प्रथा, दास प्रथा ने तो उनका सर्वोच्च सामाजिक स्थान न केवल छिना उन्हें तिरस्कृत एवं उपभोग की वस्तु बना दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास ने भी लिंग परिक्षण माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या को अंजाम दिया जाने लगा परिणामस्वरूप जनगणना 2011 के दौर में वैश्विकरण ने अधिकांश परिवारों को काम की तलाश में शहरो की और मोड़ा उसी के साथ शिक्षित ओर धनवान परिवारों में यौन चयन की संभावना अधिक बढने लगी।

हमेशा से लैगिक असमानता का मुख्य कारण पुत्र वारिस की प्राप्ति रहा जबकि महिला पुरूषों के समान ही समाज के लिए आर्थिक, वित्तिय और पारिवारिक जिम्मेदारीयों की बखुबी निभाती रही है लेकिन पुरूष प्रधान समाज उसका जन्म केवल परिवार व बच्चों को संभालने तक की मानसिकता युक्त होने से उसके खिलाफ, घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न कार्य स्थल उत्पीड़न, छेड़छाड़, जबरन गर्भ निषेध, मानसिक प्रताड़ना आम बात हो गयी है यह एक खतरनाक और ज्वलन्त मुद्दा है। जिसका देश की प्रगति में निराकरण निःतान्त आवश्यक है।

"मिल जानी चाहिए अब मुक्ति स्त्रियों को
आखिर कब तक विमर्श में रहेगी मुक्ति"

लैगिक असमानता आशय

उत्तर आधुनिक युग में जिस एक मुद्दे ने नीति निर्माताओं का सबसे अधिक आकर्षित किया है। वह है लैगिंक विषमता, भारतमें लैगिंक विषमता स्त्री–पुरूषों के मध्य स्वास्थ, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक असमानता को दर्शाता है। लिंग असमानता भारत का एक बहुआयामी मुद्दा है। स्त्रीयाँ कब त कवह अपनी अस्मिता की मशाल स्वयं जलायेगी? उसे कब तब पुरूष रूपी वैशाखी का सहारा लेना पड़ेगा? इसका अर्थ महिला और पुरूष दोनों से है। जबकि प्रकृति ने सेक्स का निर्धारण किया लैगिंग असमानता का मुद्दा मानव की विकृत मानसिकता का परिचायक है। पितृसत्तात्मक समाज ने उसे सम्मान न देकर दोयम दर्जे का घोषित कर दिया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नोबेल पुरूस्कार विजेता आमृत्य सेन ने (2001) भारत में लैगिंक असमानता के सात कारण बताये है। लेकिन यहाँ कुछ अन्य पर भी चर्चा की जा रही है। जो लैगिंक असमानता हेतु पूर्णतः जिम्मेदार है।

* सहायक आचार्य, राजनिति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय, सिकराय, दौसा, राजस्थान।

लैगिंक असमानता के कारक

- **व्यवसायिक असमानताः** महिलाओं को सशस्त्र बलो, सेना में प्रमुख भूमिका निभाने की अनुमति नहीं है। इन्हें न तो स्थायी कमीशन स्वीकृत होता है न ही प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **सम्पत्ति अधिकारः** हालांकि सम्पत्ति हेतु महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त है परन्तु व्यवहार में महिलाएं एक प्रतिकूल स्थिति में है किन्तु उत्तराधिकार अधि. 2005 उसे समान उत्तराधिकार प्रदान करता है परन्तु कानून कमजोर रूप से लागू होने से महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे की हो गयी है।
- **श्रम भागीदारीः** भारत में महिला और पुरूषों में श्रम बराबरी है लेकिन मजदूरी असमानता है आज भी भारत में महिलाओं की पहूँच बैंकिग सेवाओं तक उस हद तक नहीं हो पायी है जिस हदतक होनी चाहिए जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर पा रही है।
- **शिक्षाः** भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दर पुरूष साक्षरता से कम है महिला साक्षरता जहाँ 65.46 प्रतिशत है वही पुरूष 82.14 प्रतिशत साक्षर है। क्योंकि साक्षरता से लेकर उच्च शिक्षा महिला विरोधी पूर्वाग्रह से युक्त है।
- **स्वास्थः** महिला पुरूषों की जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ आदि में महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, रोग, कुपोषण, तनाव के कारण पुरूषों की तुलना में कमजोर स्थिति में है।
- **पितृसत्तात्मक प्रथाः** पुरूष इस प्रथा से योग्य हो या न हो परिवार में सम्पत्ति तथा पदवी दोनों प्राप्त करता है।जो विरासत में पिता से पुत्र को मिलता है पुत्री विवाह के साथ पति के घर चली जाती है।
- **दहेज प्रथाः** इस प्रथा ने लड़कियों को परिवारो पर बोझ बना दिया तथा विवाह उपरान्त शोषण का साधन जिससे पुरूष और स्त्रियों में स्वतः ही असमानता या ये कहे उच्चतर व निम्नतर की मानसिकता पैदा कर दी है।
- **लिंग आधारित हिंसाः** इसमें महिलाओं के साथ रेप, यौन, उत्पीड़न, अपहरण, साथी या रिश्तेदारों द्वारा करता, अवैध व्यापार, देह व्यापार, अश्लीलता सभी अपराध किये जाते है। ये अपराध असमानता की सर्वोच्च पराकाष्ठा को इंगित करते है।
- **धार्मिक अनुष्ठानों व वृद्धावस्था हेतु पुत्र चाहतः** भारत में माता–पिता के अंतिम संस्कार का एकमात्र अधिकार पुत्र को प्राप्त है तथा यज्ञ व अन्य कर्मकाण्डों को केवल पुत्र ही अंजाम दे सकता है, वृद्धअवस्था में पुत्र चाहे वृद्ध माँ बाप की सेवा करे या नहीं करे लेकिन पुत्री परायाधन या पति के घर जाने की अवधारणा से माता–पिता उसे केवल दायित्व के रूप में मानते है जबकि पुत्र को बुढ़ापे की लाठी।

विश्लेषण

पिछले कुछ दशकों से अनेक राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एन.जी.ओ. (स्वयं सहायता समूह), पूर्ण विकासात्मक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रहे है। महिलाओं के खिलाफ असमानता के सभी रूपों को कम करनेके लिए नारीवाद का महत्त्वलगातार बढ़ रहा है।

प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है यदि देश, समाज व पुरूष अपनी मानसिक पंगुता से बाहर निकल सकें। हमें आवश्यकता है शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त करने की आवश्यकता है महिलाओं के सशक्तिकरण की, हमें उन्हें मौका देना होगा बेझीझक सामाजिक गतिविधियों और सक्रिय राजनीति में भाग लेने का, रणनीति बनानी होगी लिंग चयन, गर्भपात, बलात्कार, घरेलु हिंसा को समाप्त करने की, तैयार करना होगा, ऐसा सकारात्मक माहौल जिसमें बेटी फल–फूल सकें।

सुझाव

सकारात्मक प्रतिबद्धता से महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाया जा सकता है यही बौद्धिक औचित्यपूर्णता भी होगी। भारत में लिंग असामनता को निष्क्रिय करने की आवश्यकता है क्योंकि लैगिंक असमानता के सभी कारक कष्टप्रद है। यह आश्र्च का विषय है इतने सारे कानून होने के बावजूद महिलाएं तनाव व दबाव में रहती है। स्त्रियों पुरूषों के मध्य समता स्थापित करने हेतु अभी मीलो चलना बाकी है। जबकि एक के बिना दूसरे का जीवन अधूरा है।

स्वयं सहायता समूह, पुलिस कर्मीयों न्यायालय, नीति निर्माता से लेकर आम नागरिक को अपनी जिम्मेदारीयों का पालन सुनिश्चित करना होगा महिलाओं से संबंधित योजनाओं जैसे "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" में सक्रिय भूमिका निभानी होगी।

"नारी सशक्तिकरण के नारो से गुंज उठी है वसुंधरा,
संगाष्ठी, परिचर्चाएं सुन–सुन, अंतर्मन से पूछ पड़ा।
शक्ति को ना ललकारों, इसको नारी ही रहने दो,
करूणा, ममता की सरिता ये, कल–कल शीतल ही बहने दो।।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- स्त्री मुक्ति का सपना – प्रो. कमला प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद पृ.सं. – 446
- भारत में स्त्री असमानता : एक विमर्श – डॉ. गोपा जोशी, पृ.सं. – 263
- स्त्रियों की पराधीनता – जे. एस. मिल, पृ.सं. – 10
- कबीर, एन (1999) – नारीवादी दृष्टिकोण से विश्लेषणात्मक रूपरेखा तकः लैगिंक असमानता के मामले
- संतोष, रंगनाथ एण्ड कामा, राजू, टी. (2009) –भारत में लैंगिक विकासः आयाम एवं कार्ययोजना, वॉल्यूम 6, आई. मनेजमेंट ट्रेडस
- शर्मा जी.एल. – सामाजिक मुद्दे, पृ.सं. 421
- ब्रिटा इस्टेव, वॉलास्ट (2007) – लिंग भेदभाव और विकास : भारत के सिद्धांत और साक्ष्य, लंदन स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स एण्ड पॉलिटिक्ल साइंस
- वेकॉफ, विक्टोरियो. ए. (1998) भारत में महिलाओं की शिक्षा वाणिज्य विभाग अमेरिका वाशिंगठन रिपोर्ट : जी.पी.ओ. 9801
- विल्सन, डी. (2003) मानव अधिकार : शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को बढ़ावा देना 2003/04
- स्त्रियाँ : मंगलेश डबराल – पृ. सं. 18
- यूनेस्को – लिंग और शिक्षा सभी के लिए, सारांश रिपोर्ट (2003)

❖◆❖